न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)
पीठासीन अधिकारीः– श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 01/2020

बउनवान

1. गोपालसिंह आयु 40 वर्ष पुत्र श्री जगदीशजी जाति जाट
2. घनश्याम आयु 62 वर्ष पुत्र श्री मथुरालाल जाति जाट
3. रामस्वरूप आयु 60 वर्ष पुत्र श्री मथुरालाल जाति जाट निवासीगण उदपुरिया तहसील मांगरोल, जिला बारां, राज0 (निगराकारान)

बनाम

1. श्रीमति बदरूनिशा पत्नि अब्दुल गफ्फार जाति मुसलमान निवासी उदपुरिया तहसील मांगरोल, जिला बारा, राज0
2. ग्राम पंचायत उदपुरिया जर्ये ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, ग्राम पंचायत उदपुरिया तहसील मांगरोल, जिला बारां, राज0 (गैरनिगराकारान)

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थिति :– 1. श्री कमलदीप सिंह हाड़ा अभिभाषक (निगराकारान)
2. श्री हरिओम चतुर्वेदी अभिभाषक (गैरनगराकारान)

निर्णय दिनांक 29.08.2023

निगराकारान द्वारा जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत निगरानी संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत उदपुरिया ने दिनांक 27.11.2010 को आबादी भूमि का पट्टा कमांक 2497 पुस्तक संख्या 50 माप 22 x 40 कुल 880 वर्गफीट का निःशुल्क गैरनिगराकार कम 1 के पक्ष में जारी किया गया है जो नियम विरूद्ध व अवैधानिक होने से निरस्तनीय है। जारी किये गये पट्टा कमांक 2497 में न तो भूखण्ड का नक्शा अंकित है ना ही खसरा नंबर अंकित किया गया है मात्र औपचारिकता पूर्वक सीमांकन का स्थान दर्शित किया गया है। पंचायतीराज कानून 1996 के नियम 158 के तहत 150 वर्गगज तक के आबादी भूमि का पट्टा कमजोर वर्ग के लोगों को रियायती दर पर दिया जा सकता है तथा विशेष परिस्थितियों में निःशुल्क आवंटित किया जा सकता है। परन्तु पट्टा कमांक 2497 को जारी करते समय नियम 158 की पूरी तरह अवहेलना की गई है तथा जारी पट्टा 150 वर्गगज से अधिक का है अस्तु पट्टा निरस्तनीय है। जारी किये गये पट्टे के आधार पर गैर निगराकार कम 1 पट्टेशुदा भूखण्ड पर आवासीय निर्माण कर रही है जो निगराकारान के खेत की मेर से लगवां है तथा खेत पर आने जाने का गैर मुमकिन रास्ता है, जिस पर खरंजा बना हुआ है ... वर्षो से बिना किसी बाधा के उपयोग कर रहे हैं। अतः गैर निगराकार कम ... में गैर निगराकार कम 2 द्वारा जारी पट्टा कमांक 2497 दिनांक 27.11.2010 ...

जिला कलक्टर
बारां (राज॰)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.09.19 11:16:10 IST
Reason: SelfAttested

इस पर प्रकरण ... जाकर, गैर निगराकारान को तथा अधीनस्थ कार्यालय ग्राम पंचायत उदपुरिया का रेकार्ड तलब किया गया।

गैर निगराकार कम 1 जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुई तथा जवाब/आपत्ति इस आशय का पेश किया कि गैर निगराकार को जारी पट्टा दिनांक 27.11.2010 की 22 x 40 कुल 880 वर्गफीट भू भाग पर पूर्वजों का मकान था जिसमें गैर निगराकार अपने परिवार सहित

[illegible] करती है। निगराकारान ने गैर निगराकार के पट्टेशुदा मकान के पीछे की सरकारी भूमि [illegible]तिक्रमण किया हुआ है। खसरा नंबर 172 गै. मु. सड़क के दक्षिण में गैर निगराकार क्रम 1 [illegible] बाबूलाल मेघवाल, छीतरलाल मेघवाल, बिरधीलाल मेघवाल एवं मस्जिद के पीछे सिवायचक भूमि है। सिवायचक सरकारी भूमि के दक्षिण दिशा में निगराकार के संयुक्त खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 43 रकबा 1.15 है. स्थित है। निगराकार ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर अपनी आराजी में मिला रखा है, गैर निगराकार के मकान के पश्चिम दिशा में सड़क से लगवा भूमि पर निगराकार ने 100 फीट लम्बा पत्थरों का कोट चुनकर सिवायचक आराजी पर अतिक्रमण कर लिया तथा अपने खाते की आराजी खसरा नंबर 43 के पूर्वी ओर की सरकारी भूमि लगभग ढाई बीघा में पत्थर डाल रखे हैं और टीनशेड लगाकर अतिक्रमण किया हुआ है। गै0मु0 रास्ता खसरा नंबर 172 की चौड़ाई 20 फीट है, उक्त रास्ते के दोनो तरफ आबादी बसी हुई है। रास्ते के दक्षिणी ओर मस्जिद है और मस्जिद के पश्चिमी ओर बाबूलाल पुत्र गोपाल मेघवाल, छीतरलाल मेघवाल, बिरधीलाल मेघवाल एवं गैर निगराकार क्रम 1 के पट्टेशुदा मकान हैं। उक्त मकानों में पट्टेधारी अपने परिवार सहित सन् 1984 से निवास कर रहे हैं। पट्टाधारी गैर निगराकार ने अपने कच्चे निर्मित घर का पक्का निर्माण करवाने पर निगराकार ने धार्मिक द्वेषतावश गैर निगराकार क्रम 1 को परेशान करने की गरज से मिथ्या, बनावटी आधारों पर निगरानी पेश की है जो विधितः संधारणीय नहीं होने से निरस्तनीय है। निगराकारान को ग्राम पंचायत उदपुरिया द्वारा गैर निगराकार के पक्ष में जारी भू पट्टा बाबत निगरानी करने के वादाधिकार एवं लोकस स्टेण्डाई नही होने से निगरानी विधितः संधारणीय नहीं होने से निरस्तनीय है। अतः निरस्त फरमाई जावे।

अधीनस्थ कार्यालय का रेकार्ड प्राप्त होने पर हमने नायब तहसीलदार सीसवाली से पटवारी हल्का उदपुरिया की रिपोर्ट दिनांक 28.05.2020 अनुसार ग्राम उदपुरिया की आराजी खसरा नंबर 171 रकबा 1.50 है. एवं 172 रकबा 0.75 है. किस्म गैर मुमकिन रास्ता के उत्तर दक्षिणी दिशा में स्थित आबादी किस खसरा नंबर में बसी हुई है तथा मौके पर क्या क्या स्थित है, की विस्तृत मौका स्थिति की रिपोर्ट मंगवाई। नायब तहसीलदार सीसवाली की विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त होने पर हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषकगण सुनी।

दौराने बहस अभिभाषक निगराकार ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि गैर निगराकार क्रम 1 को पंचायतीराज कानून 1996 के नियम 158 के तहत 150 वर्गगज तक के आबादी भूमि का पट्टा कमजोर वर्ग के लोगों को रियायती दर पर दिया जा सकता है तथा विशेष परिस्थितियों में निःशुल्क आवंटित किया जा सकता है। परन्तु पट्टा क्रमांक 2497 को जारी करते समय नियम 158 की पूरी तरह अवहेलना की गई है तथा जारी पट्टा 150 वर्गगज से अधिक का है। पट्टा क्रमांक 2497 गैर मुमकिन रास्ते की भूमि का जारी किया गया है, जो कि पटवारी रिपोर्ट दिनांक 28.05.2020 के अवलोकन से स्पष्ट है, तथा जारी पट्टे पर खसरा नंबर अंकित नहीं है, भूखण्ड का [illegible] नहीं है। अतः गैर निगराकार क्रम 1 के पक्ष में जारी नियम विरूद्ध पट्टा [illegible]

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.09.19 11:16:10 IST
Reason: SelfAttested

दौराने बहस अभिभाषक गैर निगराकार ने जवाब निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि गैर निगराकार के पक्ष में जारी पट्टे के विरूद्ध कार्यवाही करने का निगराकार को कोई अधिकार नहीं है। निगराकार ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है उसकी सरकारी भूमि में से निगराकार का आने जाने का रास्ता पर्याप्त मात्रा में है। गैर निगराकार क्रम 1 के पक्ष में जारी पट्टाशुदा भूमि पर गैर निगराकार क्रम 1 का मकान बना

जिला कलेक्टर

है तथा उसके आसपास भी अन्य मकानात बने हुये हैं। गैर निगराकार को नियमानुसार पंचायत द्वारा जारी पट्टे के विरूद्ध कार्यवाही पंचायत समिति में करनी चाहिये थी जो नही की गई है। गैर निगराकार का पूर्व से भी इसी भूमि पर मकान निर्मित था। ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार 150 वर्गगज से कम का पट्टा जारी किया गया है। अतः निगरानी निरस्त फरमावें।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पर विचारण किया गया। न्यायहित में निगरानी पेश करने में हुई देरी क्षम्य की जाकर निगरानी विचारार्थ ग्राह्य की जाती है।

नायब तहसीलदार सीसवाली की रिपोर्ट अनुसार खसरा नंबर 171 व 172 गैर मुमकिन रास्ता दर्ज रिकार्ड है जिसमें से रास्ता निकल रहा है। खसरा नंबर 172 के 0.50 है भूमि में उत्तर दक्षिण दिशा में मकानात बने हुए हैं। इसमें गैर निगराकार का भी मकान बना हुआ है व निगराकार द्वारा भी 150 फीट पत्थर का कोट बना रखा है। अतः गैर मुमकिन रास्ते पर पट्टा दिया जाना साबित होता है। उपर्युक्त विवेचन अनुसार ग्राम पंचायत उदपुरिया द्वारा गेर निगराकार कम 1 के पक्ष में जारी पट्टा निरस्त किये जाने योग्य पाया जाता है।

अतः ग्राम पंचायत उदपुरिया द्वारा गैरनिगराकार कम 1 **श्रीमति बदरूनिशा पत्नि अब्दुल गफ्फार, जाति मुसलमान निवासी उदपुरिया तहसील मांगरोल** के पक्ष में जारी पट्टा कमांक 2497 दिनांक 27.11.2010 क्षेत्रफल 22X40 वर्गफीट निरस्त किया जाता है। पट्टेधारी को उक्त पट्टे पर किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नही होगें। तथा तहसीलदार मांगरोल एवं ग्राम पंचायत उदपुरिया को निर्देशित किया जाता है कि गैर मुमकिन रास्ते पर दिये गये अन्य पट्टों को भी नियमानुसार निरस्त करने की कार्यवाही करावें तथा निगराकार द्वारा गैर मुमकिन रास्ते पर किये गये पत्थर कोट को भी हटाने की कार्यवाही करें।

निर्णय आज दिनांक 29.08.2023 को लिखाया जाकर, सरे इजलास सुनाया गया।

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर, बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.09.19 11:16:10 IST
Reason: SelfAttested